सीनियर टेक्नीशियन रेफ्रीजरेशन (सेन्ट्रल वर्कशॉप) (अ0पि0वर्ग/अनारक्षित) पात्र/अपात्र सूची

दिनाँक 06/04/2019

स.क्रमाँक	आवेदन क्रमाँक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	जन्म तिथि	पात्र/अपात्र	अपात्र का कारण	दावा आपत्ति में प्रस्तुत दावा	स्क्रूटनी समिति का अभिमत	पात्र/अपात्र	रिमार्क
1	OB/15/00001	नीरज गुप्ता	PARMANAND GUPTA	अन्य पिछड़ा वर्ग	14/04/1986	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अपात्र	1. आय प्रमाण पत्र आवेदन तिथि के बाद का है।	1. आवेदक द्वारा दावा–आपत्ति आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र वर्ष 2016–17 जारी दिनांक 09.12.2016 की स्वप्रमाणित छायाप्रति और आय प्रमाण पत्र वित्तिय वर्ष 2016–2017 जारी दिनांक 12.12.2017 (आवेदन की तिथि के बाद का) स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है और पात्र की सूची में संलग्न करने का अनुरोध किया है।	अभ्यावेदन – मान्य	पात्र योग्य	
2	UR/15/00002	आशुतोष दुबे	SHRI RAM NARESH DUBEY	अनारक्षित	28/08/1983	पात्र	–	1. आवेदक ने आवेदन में आपत्ति दर्शाते हुए यह कहा है कि पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई है, उक्त प्रकाशित सूची के सरल क्रमांक 12,17,25,31, अभ्यर्थियों को शासकीय संस्थान से संबधित विषय में 02 वर्ष का कार्य अनुभव नही है इनके द्वारा आई.टी.आई. 18 माह का एस.सी.व्ही.टी. (योजना) के द्वारा किया गया है। शैक्षणिक अर्हता जो कि विज्ञापन में दर्शाई गई है उसमें यह उल्लेखित नही है। पुनः निरीक्षण मे पाया गया है कि आवेदक द्वारा उक्त कथन के अनुसार अभ्यर्थी सरल क्रमांक 12,17,25,31, लोगों ने एस.सी.व्ही.टी. किया हुआ है, जो कि आई.टी.आई. प्रशिक्षित है। विज्ञापन के अनुसार उक्त पद की अर्हता " किसी मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से रेफ्रिजरेशन विषय में प्रशिक्षण अथवा शासकीय संस्थान से संबधित विषय में 02 वर्ष का अनुभव " है जिसमें आई.टी.आई. रेफ्रिजरेशन के प्रशिक्षण की अवधि का कोई उल्लेख नही है।	निर्णय वयन समिति स्तर पर को शासन को पत्र लिखकर दिशा – निर्देश मागा जाना उचित होगा, तदनुसार नियमानुसार संबधित अन्य आवेदनो का भी परीक्षण किया जाना आवश्यक है।	पात्र योग्य	
3	UR/15/00013	महेंद्र कुमार जायसवाल	RAM NARAYAN JAISWAL	अनारक्षित	26/01/1989	अपात्र	1. शासकीय सेवा में कार्यरत किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। 2. रोजगार पंजीयन जीवित नहीं।	1. आवेदक द्वारा दावा–आपत्ति आवेदन के साथ No Objection Certificate जारी दिनांक 18.09.2017 की स्वप्रमाणित छायाप्रति जो कि राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा जारी की गई है संलग्न है। 2. रोजगार पंजीयन की जारी दिनांक 20 नवम्बर 2017 की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की है, जो कि आवेदन तिथि के बाद का है, और उक्त दस्तावेजों के आधार पर पात्र करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन में उल्लेख किया है कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायलय बिलासपुर का निर्णय आया है जिसमें रोजगार पंजीयन के आधार पर किसी को अपात्र किया जाना सही नही ठहराया गया है, तथा साथ ही आवेदक लिखता है कि मैं शासकीय सर्विस में हूँ अतः मैने अपना रोजगार पंजीयन नही कराया था। आवेदक ने नई दुनिया में प्रकाशित आर्टिकल की छायाप्रति संनग्न की है। नोटः– दावा–आपत्ति व स्क्रूटनी के समय संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र और दावा–आपत्ति में संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्र शासकीय संस्थान का न होकर सहकारी संस्थान का है।	1. अभवेदन – अमान्य 2. अभ्यावेदन – अमान्य	अपात्र योग्य	
4	UR/15/00018	प्रमोद कुमार सिंह	MUNESHWAR SINGH	अनारक्षित	23/07/1981	अपात्र	1. किसी मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से रेफ्रीजरेशन विषय में प्रशिक्षण अथवा शासकीय संस्थान से संबधित विषय में 02 वर्ष का कार्यानुभव नहीं।	1. आवेदक द्वारा दावा–आपत्ति आवेदन के साथ छायाप्रति आठवीं, दसवीं, बारहवी अंकसूची छायाप्रति बी.ए. पार्ट–03 अंकसूची डिप्लोमा ए.सी. और रेफ्रिजरेशन अंकसूची डिप्लोमा ए.सी. और एअर कंडीशन अंकसूची छायाप्रति ए.सी. और रेफ्रिजरेशन की उपाधि की छायाप्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव जशपुर द्वारा प्रमाण पत्र (छायाप्रति) जिसमें आवेदक को एसी फ्रिज वाटर कूलर,डिफीजर, आई एल आर इलेक्ट्रीशियन आदि सर्विसिंग का कार्य विगत 03 वर्षो से किया जा रहा है, दर्शाया गया है तथा रोजगार पंजीयन की छायाप्रति संलग्न की गई है आवेदक ने आवेदन में दर्शाया है कि आवेदक द्वारा आवेदन में मांगी गई योग्यता तथा अनुभव संलग्न किया गया है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर आवेदक ने सीनियर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन पद पर पात्र करने का अनुरोध किया है। स्क्रूटनी/दावा आपत्ति के समय पाया गया कि संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही किया गया है।	अभ्यावेदन – अमान्य	अपात्र योग्य	

नोटः–लिपिकीय या टंकण त्रुटि हेतु कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख ही मान्य होंगे।